जिला परिषद, सिवान

पत्रांक 495 /जि0प0

प्रेषकः–

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, सिवान।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सिवान, दिनांक 08.06.2020/

विषयः– **अल्पकालीन आम सूचना राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि जिला परिषद, सिवान अपने आय स्त्रोत के बढ़ोत्तरी हेतु परिषदीय भूमि पर स्ववित्त पोषित योजना के तहत निर्मित/निर्माणाधीन दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु अल्पकालीन आम सूचना का पी0डी0एफ0 फाईल (Pdf File) इसके साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अल्पकालीन आम सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा किया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, सिवान।

ज्ञापांक 495 / जि0प0, सिवान, दिनांक 08.06.2020/

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संलग्न आम सूचना को जिला के बेवसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।

8/6/20

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, सिवान।

2
8.6.20

जिला परिषद, सिवान

–: आम सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, सिवान के द्वारा अपने आय स्त्रोत के बढ़ोतरी हेतु परिषदीय भूमि पर स्ववित्त पोषित योजना के तहत बसंतपुर, सिसवन एवं दरौली आई0वी0 के परिसर के पास, बड़हरिया बाजार, महाराजगंज ओवरसियर क्वाटर के परिसर में पूर्व से निर्मित दुकान के प्रथम तल पर एवं दरौली बाजार में निर्मित/निर्माणाधीन दुकानों की बन्दोवस्ती निविदा के माध्यम से की जाएगी। आवेदन पत्र जिला परिषद कार्यालय, सिवान में दिनांक 13.06.2020 से दिनांक 24.06.2020 तक कार्यावधि में 500=00 (पॉच सौ) रू0 नगद भुगतान पर विक्रय किया जाएगा, जो अअदाएगी (Non refundable) होगा तथा दिनांक 25.06.2020 को 04:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदायें जिला परिषद कार्यालय में प्राप्त की जाएगी और दिनांक 26.06.2020 को 11:30 बजे पूवाह्न में प्राप्त निविदाओं को निविदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा। प्राप्त निविदा को स्थगित करने अथवा सम्पूर्ण या किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी हेतु **Website-siwan.nic.in** पर देखा जा सकता है या कार्यावधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

8-6-20

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिवान।

जिला परिषद, सिवान

—: आम सूचना :—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, सिवान द्वारा नीचे अंकित परिषदीय स्थलों पर निर्मित/निर्माणाधीन दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु इच्छुक व्यक्तियों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :—

क्र0	प्रखण्ड का नाम	स्थान का नाम/दुकान का साईज	बन्दोवस्ती हेतु कुल दुकानों की संख्या	दुकानों का साईज	प्रति दुकान निर्धारित की गई विकास शुल्क की राशि	किराया की राशि	जमानत की राशि 20%	निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति दुकान (Non Refundable)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बड़हरिया	बड़हरिया बाजार में पूर्व से निर्मित दुकान के प्रथम तल पर दुकान निर्माण।	7	विभिन्न साईज	310000	1200	31000	500
2	बसंतपुर	बसंतपुर डाक बंगला के परिसर में दुकान निर्माण ।	24	10'x12'	490000	1200	49000	500
3	महाराजगंज	महाराजगंज ओभरसियर क्वार्टर परिसर में पूर्व से निर्माण दुकान के प्रथम तल पर दुकान निर्माण।	15	10'x12'	250000	1000	25000	500
4	सिसवन	सिसवन निरीक्षण भवन के परिसर के गेट के दोनो तरफ दुकान नि0 कार्य।	13	12'x15'	540000	500	54000	500
5	दरौली	दरौली ओभरसियर क्वार्टर के परिसर में दुकान निर्माण।	8	10'x10'	327000	500	32700	500
6	दरौली	दरौली निरीक्षण भवन के गेट के दक्षिण दुकान निर्माण कार्य।	4	12'x15'	315000	500	31500	500

आवेदन पत्र जिला परिषद कार्यालय, सिवान में दिनांक 13.06.2020 से दिनांक 24.6.2020 तक कार्यावधि में नगद भुगतान पर विक्रय किया जाएगा, तथा दिनांक 25.06.2020 को 04:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदायें जिला परिषद कार्यालय में प्राप्त की जाएगी और दिनांक 26.06.2020 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा। शर्तनुमा निविदा (Conditional Tender) मान्य नहीं होगा। प्राप्त निविदा को स्थगित करने अथवा सम्पूर्ण या किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी हेतु **Website-siwan.nic.in** पर देखा जा सकता है या कार्यावधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

8-6-20

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिवान।

जिला परिषद, सिवान।

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत परिषदीय दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु शर्ते :-

1. दुकान लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को प्रति दुकान के लिए आवेदन–पत्र एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए मो0 500=00 (पाँच सौ) रू0 का मनी रिसिट नाजीर से कटवाना होगा, जो अदेय (Non-Refundable) होगा।
2. प्रत्येक दुकानो की बन्दोबस्ती लेने के लिए अलग–अलग मुहरबन्द निविदा देना होगा। परन्तु स–शर्त (Conditional) निविदा मान्य नहीं होगा। बन्द लिफाफा के उपर दुकान का स्थल एवं संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं की जाएगी।
3. विभाग द्वारा निर्धारित किराया की राशि पर निर्धारित विकास शुल्क की राशि से जो भी व्यक्ति अधिकतम विकास शुल्क की राशि निविदा प्रपत्र में अंकित करेंगे, उनके निविदा पर विचार किया जाएगा। निर्धारित विकास शुल्क से कम राशि अंकित करने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित की गयी किराया की राशि में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाएगा।
4. दुकान आवंटित होने पर विकास शुल्क की राशि 15 दिन के अन्दर एक मुश्त में जमा कर देना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर विकास शुल्क की राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि को जप्त करते हुए द्वितीय अधिकतम विकास शुल्क की राशि देनेवाले व्यक्ति को दुकान आवंटित कर दिया जाएगा। इसी क्रम में द्वितीय निविदादाता द्वारा राशि जमा नहीं करने पर उनकी राशि जप्त कर आगामी निविदादाता को ऑफर दिया जाएगा। मगर किसी भी हालत में निर्धारित विकास शुल्क की राशि से नीचे के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. जिला परिषद के अनुमति के बिना आवंटित दुकान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी भी तरह का परिवर्तन आवंटी द्वारा किया जाता है तो उनकी बन्दोबस्ती स्वतः रद्द हो जायेगी। वैसी स्थिति में उनके द्वारा जमा विकास शुल्क की राशि जप्त करते हुए उस दुकान की बन्दोबस्ती दूसरे इच्छुक व्यक्ति के साथ करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. आवंटित दुकान का किराया प्रति माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम के रूप में आवंटी को जमा करना होगा। किराया नहीं देने पर जिला परिषद को बन्दोबस्ती रद्द कर देने का अधिकार होगा।
7. किसी भी आवंटी को आवंटित दुकान को किसी अपने मित्र या संबंधी या अन्य व्यक्ति के हाथ बिक्री करने का अधिकार नहीं होगा और न उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिपत्य करायेंगे।
8. आवंटित दुकान के प्रथम तल या द्वितीय तल पर दुकान निर्माण करने का अधिकार जिला परिषद को सुरक्षित रहेगा।
9. विकास शुल्क के मद में प्राप्त राशि का 50% (पचास प्रतिशत) राशि पगड़ी के रूप में जिला परिषद अपने कोष में रख लेगी जो अदेय (Non-Refundable) होगा। शेष विकास शुल्क की 50% राशि को आवंटित अवधि के बीच में यदि आवंटी निर्धारित सभी शर्तो को पूरा करते हुए स्वेच्छा से छोडते है, तो वैसी स्थिति में उस दुकान विशेष को दूसरे व्यक्ति के साथ नियमानुसार आवंटित किया जायेगा और नया आवंटी से प्राप्त विकास शुल्क की राशि से छोड़ने वाले आवंटी को वापस किया जाएगा।
10. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान लेकर एक साथ सम्मिलित रूप से एक बनवाना चाहे तो विकास शुल्क की राशि के साथ आवेदन पत्र देने पर विचार किया जाएगा।
11. होटल के लिए दुकान लेने पर सेनेटरी तथा पानी की निकासी आदि की व्यवस्था जिला अभियंता के निदेशानुसार आवंटी अपने निजी व्यय पर स्वयं करेंगे, जिस पर होने वाले व्यय का संबंध जिला परिषद से नही होगा।
12. राजनैतिक कार्यालय/पार्टी कार्यालय/राजनीतिक गतिविधियों के लिए दुकान लेने हेतु दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवंटित दुकान का किसी भी परिस्थिति में राजनैतिक गतिविधियों के लिए प्रयोग निषेध रहेगा।
13. मीट/मछली/मुर्गा व्यवसाय के लिए दुकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और आवंटित दुकान में यह व्यवसाय निषेध रहेगा।
14. किराया में प्रत्येक तीन वर्ष पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वतः होती रहेगी।
15. आवेदक का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
16. दुकान का अधिपत्य प्राप्त हो जाने पर दुकान की बिजली का मीटर जिला परिषद की अनुमति से लेना होगा।
17. नगर पालिका/नगर निगम को कोई टैक्स देय होगी तो उसका भुगतान दुकानदार को करना होगा। जिला परिषद के माध्यम से यह राशि परिषद/निगम को देय होगी।
18. लीज अवधि अधिकतम 30 वर्षो के लिए सशर्त होगी। अगर शर्तो का उल्लघन आवंटी द्वारा किया जाता है तो लीच स्वतः समाप्त हो जायेगा। इसके लिए अलग से कोई नोटिस दुकानदार को देने की बाध्यता नहीं होगी। लीज पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय आवंटी को करना होगा। दुकान आवंटन के एक माह के अन्दर दुकानदार को जिला परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप लीज कराना होगा।
19. दुकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सिवान के पदनाम से जमानत के रूप में आम सूचना में अंकित राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक देय होगा, जो दुकान आवंटित होने पर विकास शुल्क की राशि में सामंजश कर दिया जाएगा और आवंटन के बाद ऑफर की राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी। दुकान आवंटित नहीं होने पर जमानत की राशि को वापस कर दी जाएगी।
20. जमा कराये गये विकास शुल्क पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
21. आवंटन से संबंधित किसी तरह के विवाद स्थानीय न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है।

8-6-20

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिवान।

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत परिषदीय दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु

— आवेदन—पत्र—

संख्या......................

आवेदक/आवेदिका की पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

सेवा में,

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सिवान।

1. आवेदक का नाम :— ....
2. पिता का नाम :— ....
3. वर्तमान पता :— ....
....
4. स्थायी पता :— ....
....
5. आवेदक का उम्र :— ....
6. दुकान लेने का स्थान :— ....
7. दुकान का नम्बर (प्रकाशित नक्शे के अनुसार) :—..
8. दुकान का विवरण (लम्बाई x चौड़ाई फीट में) :— ....
9. बन्दोबस्ती लेने का प्रयोजन :—..
(व्यवसाय का विवरण अंकित करें यथा सैलून, बुक स्टॉल, फल दुकान आदि)
10. आवेदित दुकान की विभाग द्वारा निर्धारित विकास शुल्क की राशि :—..............................
11. आवेदक द्वारा विकास शुल्क के लिए दी गई ऑफर की राशि :—..............................
12. आवेदित दुकान की विभाग द्वारा निर्धारित किराया की राशि :—..............................
13. आवेदित दुकान की विभाग द्वारा निर्धारित जमानत की राशि :—..............................
14. संलग्न--NR /Bank Draft No/ बैंकर्स चेक सं0 एवं दिनांक :—..............................
15. बन्दोवस्ती संबंधी सभी शर्तें आवेदक को मान्य है अथवा नहीं :— ....
16. यदि विशेष बात हो तो उल्लेख करें :— ....

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

उत्तर

विवाह निदेशालय भवन के परिसर में निर्मित
दुकान का नजरी नक्शा।

(सिवान)

Ragunathpur Siswan Pitch Road

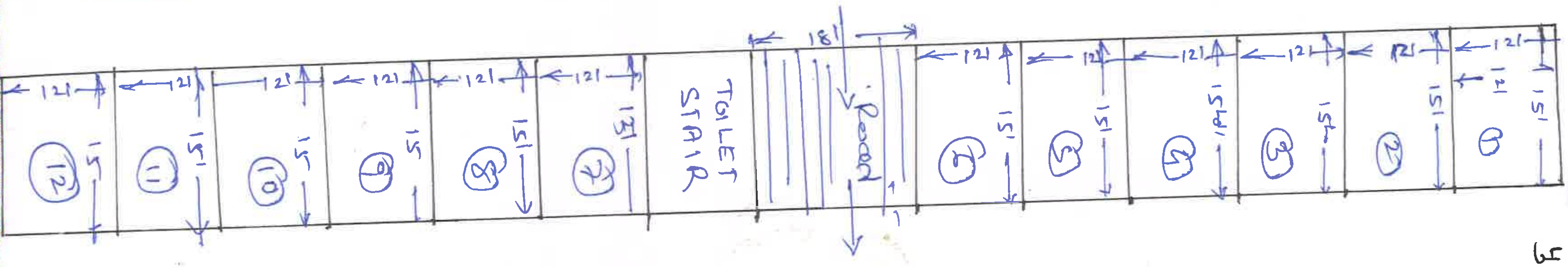

पूरब

पश्चिम

ठाकुर कम्पाउंड
Compound
दक्षिण

दरौली निरीक्षण भवन के परिसर में निर्मित दुकान का नजरी नकशा

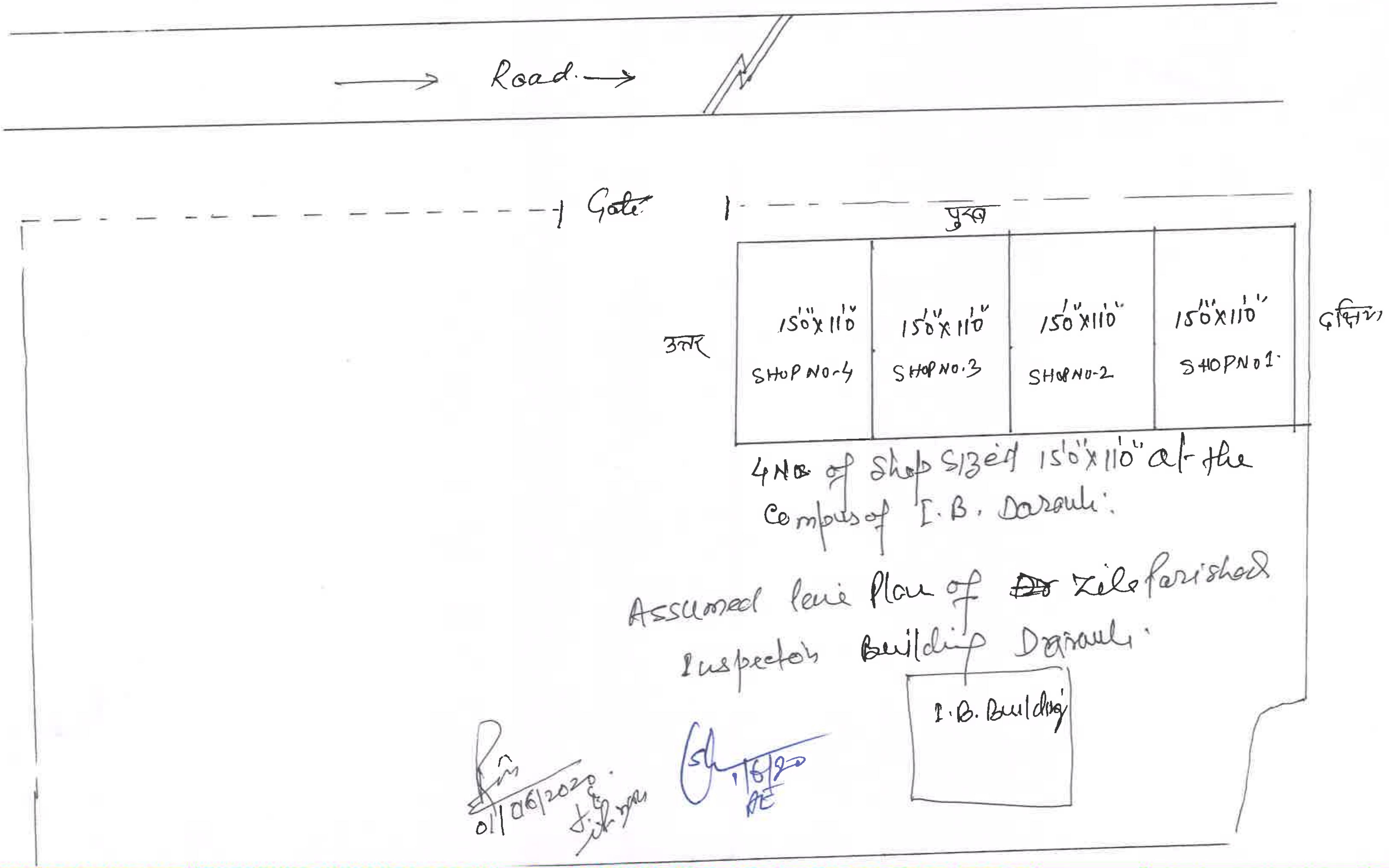

दरौली
अवस्थित कनीय अभियंता आवास के कैम्पंस में प्रस्तावित दुकान का नजरी नकशा

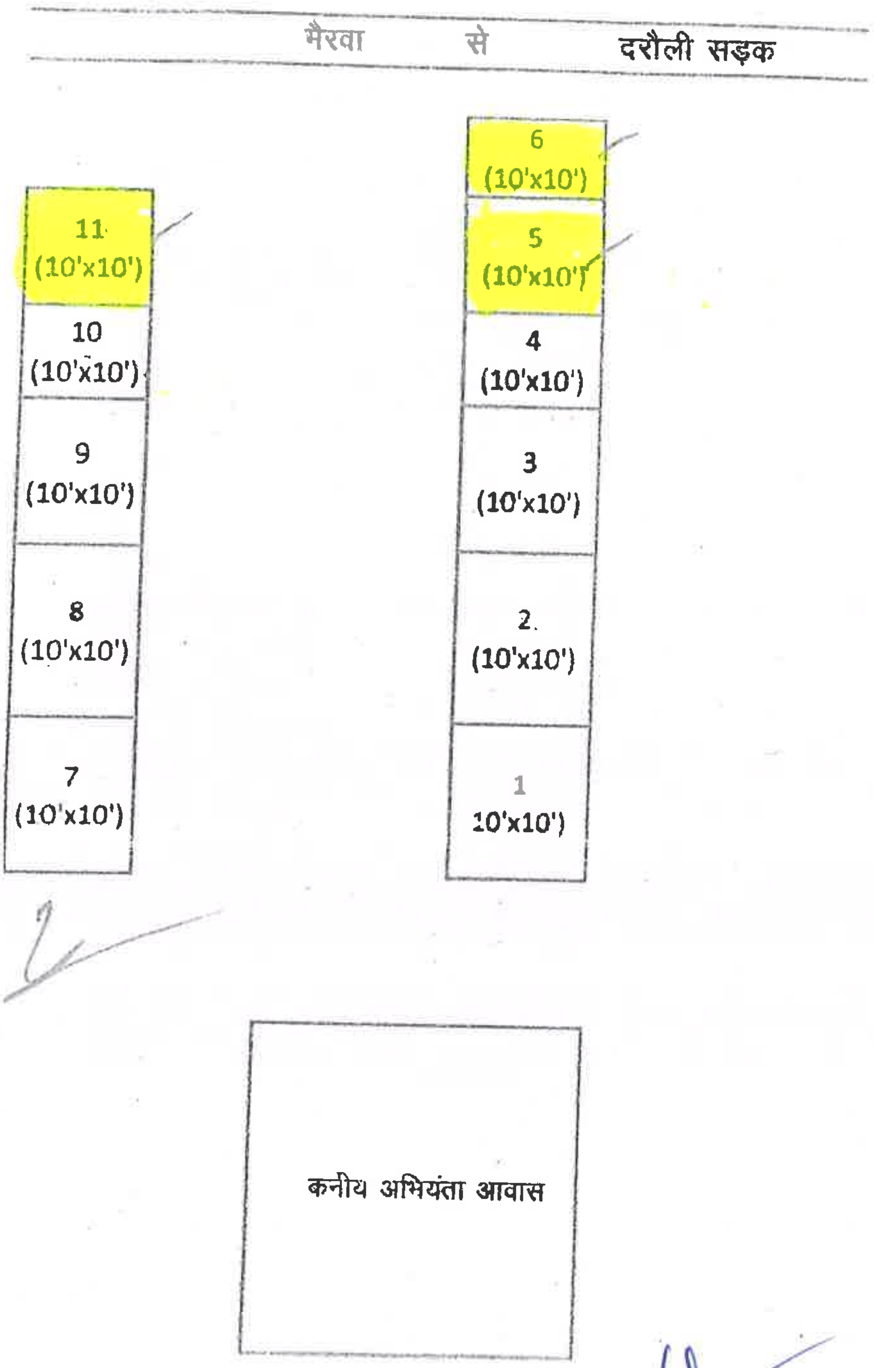

कनीय अभियंता
जिला परिषद सिवान

सहायक अभियंता
जिला परिषद सीवान

E

बड़हरिया में जिला परिषद मार्केट के प्रथम तल पर दुकान निर्माण का नजरी नक्शा

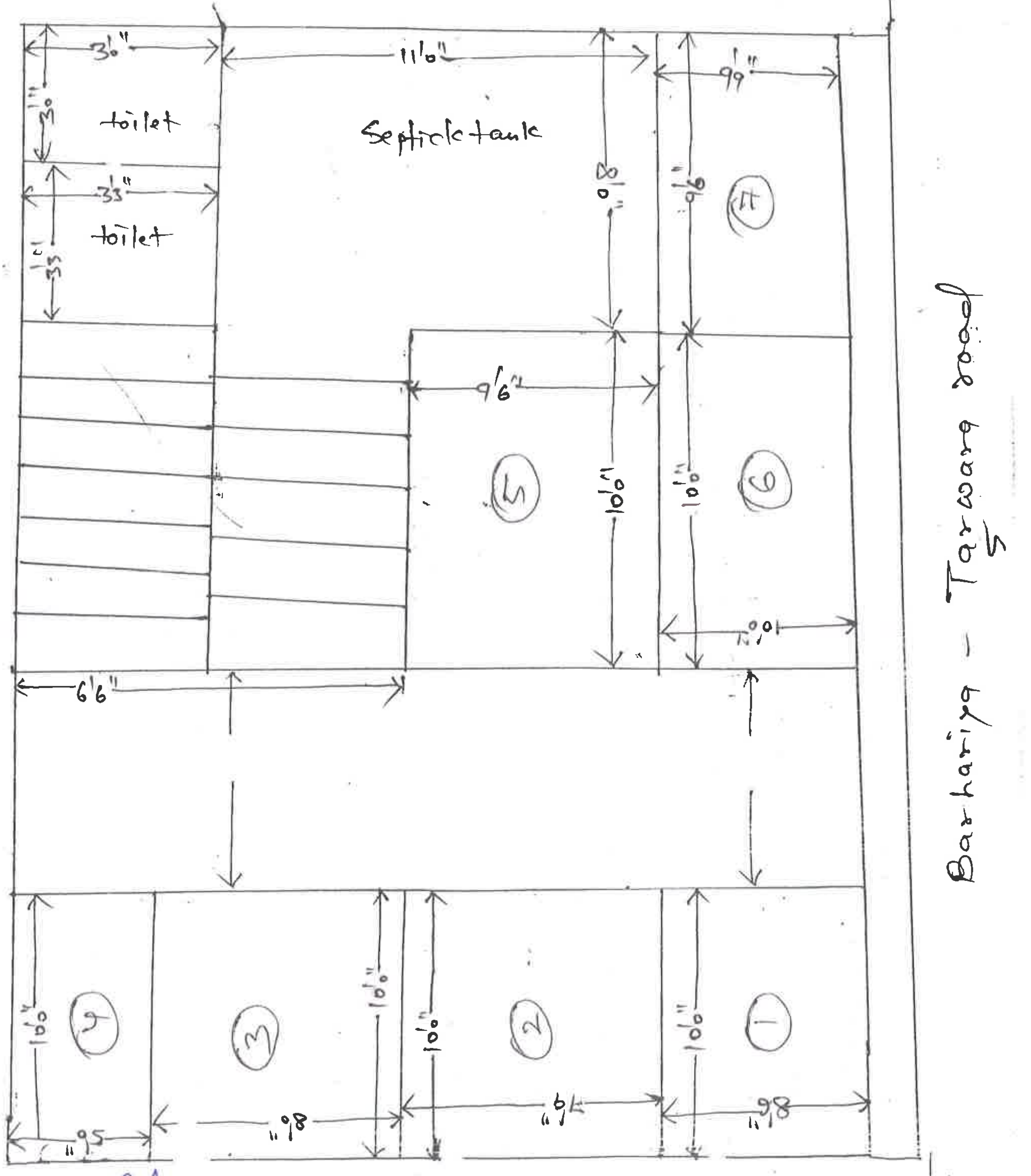

11/6/20
AE

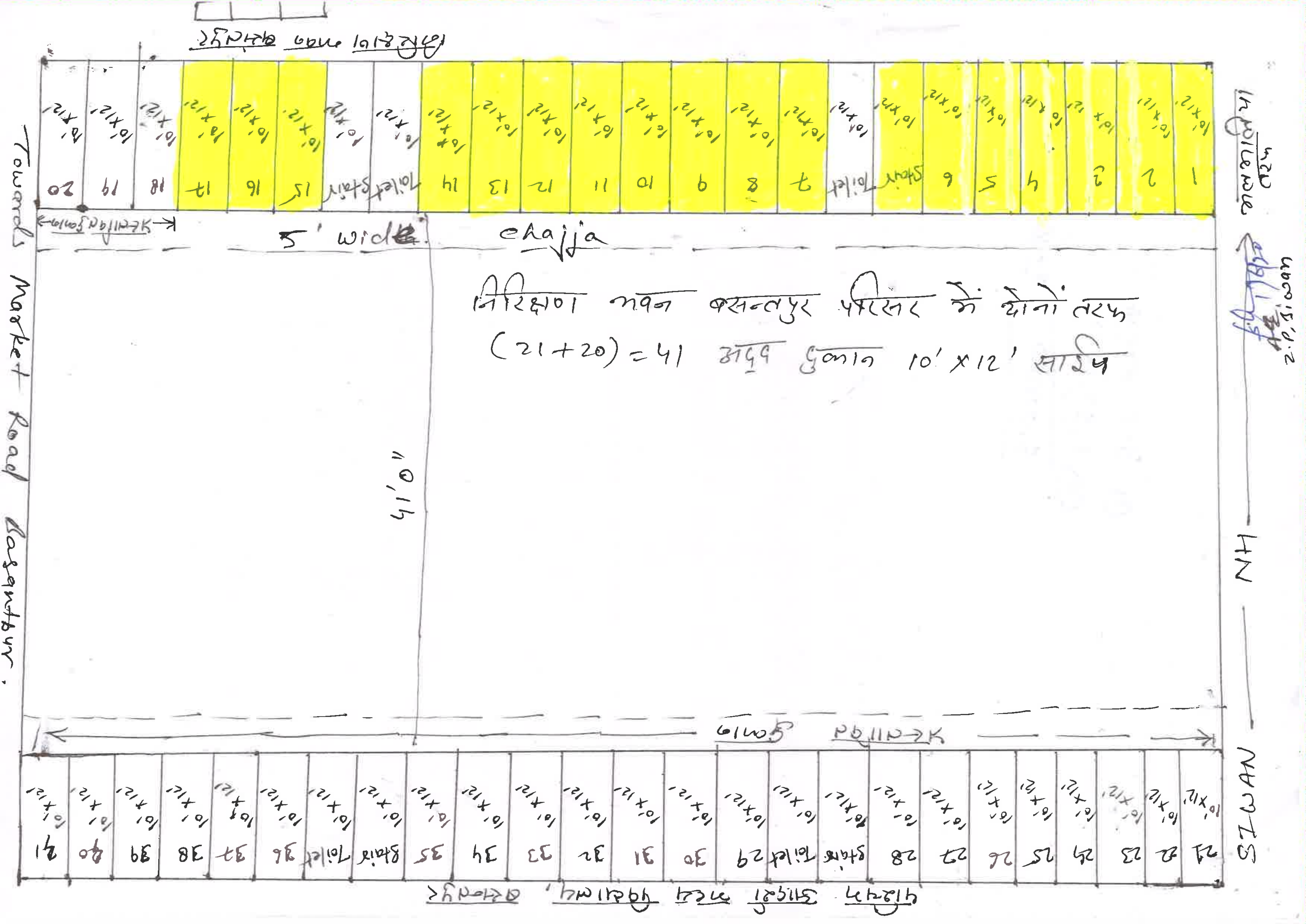

निरीक्षण भवन बसन्तपुर परिसर में दोनों तरफ (21+20)=41 अदद दुकान 10'x12' साईज
Towards Market Road Basantpur.
SIWAN
NH
मलमलिया तरफ
पश्चिम आदर्श मध्य विद्यालय, बसन्तपुर
निरीक्षण भवन बसन्तपुर
प्रस्तावित दुकान
5' width
chhajja
41'0"
Toilet
Stair
10'x12'
A.E. Z.P, Siwan